रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-09022022-233234
SG-DL-E-09022022-233234

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 77]	दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 8, 2022/माघ 19, 1943	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 428
No. 77]	DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 8, 2022/MAGHA 19, 1943	[N. C. T. D. No. 428

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

विधि न्याय एवं विधायी कार्य विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 8 फरवरी, 2022

सं. फा. 6/50/2019–विधा./अधि.वि./345–350.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 29 मई, 1970 की अधिसूचना सं0 फा0 1/2/70–डीएच(एस) , दिनांक 25 जुलाई 1970 की अधिसूचना सं. फा. 1/2/70–डीएच(एस) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा एवं इसकी ओर से उन्हें सशक्त बनाने वाली समस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल दिल्ली उच्च न्यायालय के साथ परामर्श से एतद्द्वारा दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा नियमावली, 1970 में आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त शीर्शक एवं प्रारम्भ** .– (1) इन नियमों को दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा (संशोधन)नियमावली, 2022 कहा जायेगा।

   (2) ये शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. दि.उ.न्या.से. नियम, 1970 का नियम 7 ख (1) निम्न प्रकार प्रतिस्थापित होगाः–

   निम्न प्रकार से नियम 7 के उपनियम 1 के खंड (ख) के अनुसार दिल्ली न्यायिक सेवा के सदस्यों की पदोन्नति के लिए उच्च न्यायालय एक सीमित लिखित प्रतियोगिता परीक्षा कराएगाः–

(i)	लिखित परीक्षा	–600 अंक
(ii)	अभिलेख का मूल्यांकन	–150 अंक

(iii) मौखिक साक्षात्कार –250 अंक

लिखित परीक्षा में तीन प्रश्न पत्र अर्थात लॉ–I, लॉ– II एवं लॉ–III शामिल होंगे एवं पाठ्य–विवरण तथा उक्त प्रश्न पत्र के अंक वैसे ही होंगे जो इन नियमों के परिशिष्ट के खंड V में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. दि.उ.न्या.से. नियम, 1970 के नियम 7 ख (2) का द्वितीय परंतुक निम्न प्रकार प्रस्थापित होगाः–

"आगे बशर्ते की कोई अभ्यर्थी मौखिक साक्षात्कार में पेश होने के योग्य केवल उसी स्थिति में होगा जब वह सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के मामले में लिखित परीक्षा के प्रत्येक प्रश्न पत्र में 45 % अंक एवं कुल योग में 50% अंक तथा अभिलेख मूल्यांकन में 50% अंक प्राप्त करेगा और आरक्षित श्रेणियों के अभ्यर्थियों के मामले में लिखित परीक्षा के प्रत्येक प्रश्न पत्र में 40% और कुल योग में 45 % तथा अभिलेख मूल्यांकन में 45 % प्राप्त करेगा ।"

4. दि.उ.न्या.से. नियम, 1970 का नियम 9(2) निम्न प्रकार संशोधित होगाः–

"आवेदन की प्राप्ति की अंतिम तिथि को अवश्य रूप से अधिवक्ता के रूप में कम से कम लगातार सात वर्षों से वकालत करता रहा हो ।"

5. दि.उ.न्या.से. नियम, 1970 का नियम 9(3) निम्न प्रकार संशोधित होगाः–

"नियुक्ति हेतु आवेदन जिस वर्ष में आमंत्रित किए जाएँ उसकी 1 जनवरी को उसकी आयु अवश्य रूप से 35 वर्ष की हो चुकी हो एवं 45 वर्ष की न हुई हो ।"

6. दि.उ.न्या.से. नियम, 1970 के परिशिष्ट के खंड VII में निम्न प्रकार का परंतुक जोड़ा जाएगाः–

"बशर्ते कि, प्रत्येक श्रेणी में रिक्त पदों की विज्ञापन में दी गई संख्या से तीन गुणा से अधिक मौखिक साक्षात्कार के लिए अभ्यर्थीगण नहीं छांटे जाएँगे । ऐसी स्थिति में जब कोई अभ्यर्थी(गण) मौखिक साक्षात्कार के लिए छांटे गए अंतिम अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंक के समान अंक प्राप्त करें तो मौखिक साक्षात्कार के लिए छांटे गए अंतिम अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंक के समान अंक प्राप्त करने वाले ऐसे समस्त अभ्यर्थी(गण) मौखिक साक्षात्कार के लिए छांटे जाएँगे इस तथ्य की उपेक्षा करते हुए कि ऐसे अभ्यर्थी(गण) को शामिल करने पर मौखिक साक्षात्कार के लिए छांटे गए अभ्यर्थियों की संख्या प्रत्येक श्रेणी में रिक्त पदों की विज्ञापन में दी गई संख्या के विनिर्दिष्ट तीन गुणा की सीमा से अधिक ही क्यों न हो जाए ।"

7. दि.उ.न्या.से. नियम, 1970 के वर्तमान खंड XIII के स्थान पर नया खंड XIII परशिष्ट में निम्न प्रकार जोड़ा जाएगा

"XIII. अंकों को पूर्णांकित करने पर निषेध

परीक्षा के किसी भी चरण में अंकों का पूर्णांकन अनुज्ञेय नहीं होगा । किसी भी चरण में अंकों के पूर्णांकन का अनुरोध नहीं सुना जाएगा एवं अभ्यर्थियों को बिना कोई नोटिस दिए रद्द कर दिया जाएगा ।

8. दि.उ.न्या.से. नियम, 1970 के परिशिष्ट के अमुक खंड की संख्या पुनः निम्न प्रकार होगीः–

परिशिष्ट के वर्तमान खंड XIII, XIV एवं XV की पुनः संख्या क्रमशः खंड XIV, XV एवं XVI होगी ।

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी के उपराज्यपाल
के आदेश से और उनके नाम पर,

संजय कुमार अग्रवाल, प्रधान सचिव (विधि, न्याय तथा विधायी कार्य)

DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE AND LEGISLATIVE AFFAIRS

NOTIFICATION

Delhi, the 8th February, 2022

No. F. 6/50/2019-Judl./Suptlaw/345-350.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution read with Government of India, Ministry of Home Affair's Notification No. F. 1/2/70/DH(S), dated the 29th May, 1970 as amended by Notification No. F. 1/2/70-DH(S), dated the 25th July, 1970 and all other powers enabling him in this behalf, the Lieutenant Governor of National Captial Territory of Delhi in consultation with the High Court of Delhi is pleased to make the following rules further to amend the Delhi Higher Judicial Service Rules, 1970, namely: -

1. **Short title and commencement. -** (1) These rules may be called the Delhi Higher Judicial Service (Amendment) Rules, 2022.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Rule 7B(1) of DHJS Rules, 1970 be substituted as under:**

The High Court shall hold a limited written competitive examination for promotion of member of the Delhi Judicial Service as per clause (b) of sub-rule (1) of rule 7 in the following manner :-

(i)	Written Examination	- 600 marks
(ii)	Assessment of Record	- 150 marks
(iii)	Viva Voce	- 250 marks

The Written Examination shall comprise three papers, namely, Law-I, Law-II and Law-III and the syllabus and weightage of the said papers would be same as prescribed in Clause V of the Appendix to these Rules.

3. Second proviso to Rule 7B(2) of DHJS Rules, 1970 be substituted as Under:-

"Provided further a candidate shall be eligible to appear in viva voce only in case he secures 45% marks in each paper in the written examination and 50% in the aggregate and 50% marks in the Assessment of Record in the case of candidates of General category and 40% marks in each paper in the written examination and 45% in the aggregate and 45% marks in the assessment of record in the case of candidates of reserved categories."

4. Rule 9(2) of DHJS Rules, 1970 be amended as under:-

"must have been continuously practising as an Advocate for not less than seven years as on the last date of receipt of applications."

5. Rule 9(3) of DHJS Rules, 1970 be amended as under:-

"must have attained the age of 35 years and have not attained the age of 45 years on the 1st day of January of the year in which the applications for appointment are invited"

6. **The following proviso be added to Clause VII of Appendix to DHJS Rules, 1970:-**

"Provided that the candidates shortlisted for viva voce shall not exceed three times the number of vacancies in each category advertised. In case, there is a candidate (s) who has/have secured marks equal to the marks secured by the last candidate shortlisted for viva voce, then all such candidate(s) who have secured marks equal to the marks secured by the last candidate shortlisted for viva voce, shall also be shortlisted for the viva voce irrespective of the fact that by including such candidate(s), the number of candidates shortlisted for viva voce exceeds the prescribed limit of three times the number of vacancies in each category advertised."

7. <u>New Clause XIII to be added in the Appendix as follows in place of existing Clause XIII of DHJS Rules, 1970:-</u>

"XIII. PROHIBITION ON ROUNDING-OFF OF MARKS

Rounding-off of marks at any stage of the examination shall not be permissible. No request for rounding-off of marks at any stage shall be entertained and the same shall be liable to be rejected without any notice to the candidates."

8. Renumbering of certain Clauses in the Appendix to DHJS Rules, 1970:-

Existing Clauses XIII, XIV and XV of the Appendix be renumbered as Clauses XIV, XV and XVI respectively."

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of National Capital Territory of Delhi,

SANJAY KUMAR AGGARWAL, Principal Secy. (Law, Justice & L.A.)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SURENDER MAHADASAM
Digitally signed by SURENDER MAHADASAM
Date: 2022.02.09 16:34:50 +05'30'